

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं-9/राज.प्र.(स्था.)- 03-05/2016ज.स.:-

राँची दिनांक:-

आदेश

श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन लिपिक, राजस्व प्रमण्डल, राँची को विभागीय आदेश ज्ञापांक 2778 दिनांक 21.05.2013 द्वारा दिनांक 09.05.2013 (अपराहन) के प्रभाव से निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प सं. 4899 दिनांक 14.09.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

श्री दिलीप कुमार, लिपिक की निलंबन अवधि तीन वर्ष से अधिक हो जाने के कारण विभागीय आदेश ज्ञापांक 3428 दिनांक 29.06.2016 द्वारा इन्हें निलंबनमुक्त किया गया।

श्री दिलीप कुमार लिपिक को निलंबनमुक्त किए जाने के उपरान्त, राजस्व लिपिक, लोहरदगा अंचल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का आदेश प्राप्त है।

ह0/-

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-

3250

राँची दिनांक:-

07/10/16

प्रतिलिपि- अवर सचिव (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग/ अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा (8), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ उप समाहर्ता, राजस्व प्रमण्डल, राँची/ श्री दिलीप कुमार, लिपिक, राजस्व प्रमण्डल, राँची/ नहर अंचल पदाधिकारी, राजस्व अंचल लोहरदगा/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten signature)
7/10/16

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

(Handwritten signature)
7/10/16